न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन, बॉसगॉव–गोरखपुर।

मूलवाद संख्या– 61/ 1992

शिवप्रसाद ——————————बनाम—————————श्री भागवत

<u>दिनांक 01.12.2022</u>

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर उभय पक्ष जरिए अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 96क–2 नियत है। प्रार्थना–पत्र 96क–2 प्रस्तावित वादीगण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी संख्या–02 राम प्रसाद बवजह बीमारी दिनांक 16.02.2022 को फौत कर जाने के कारण उनवान अर्जीदावा में उनके नाम के आगे शब्द 'मृतक' दर्ज कर उनके नाम के नीचे

2/1– सौरभ तिवारी उम्र–22 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद

2/2– श्रीमती मालती देवी उम्र–60 वर्ष पत्नी स्वर्गीय राम प्रसाद

साकिनान– मौजा लाहीडाड़ी, तप्पा–तीयर, परगना–धुरियापार,

तहसील–बॉसगॉव, जिला–गोरखपुर, दर्ज किया जाए। एक मजीद दफा– 17 जोड़े जाने की याचना की गयी है। समर्थन में शपथ–पत्र 9ग प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र वरासत दिए जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र 98ग प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथ–पत्र 99ग प्रस्तुत किया गया है। अवेटमेण्ट मंसूख किए जाने का प्रार्थना–पत्र 100ग प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना–पत्र पर अनापत्ति का पृष्ठांकन किया गया है।

सुना, पत्रावली अवलोकित।

प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और न ही कोई नया वाद सेटअप हो रहा है। मामले के गुणदोष पर निस्तारण हेतु प्रस्तावित संशोधन आवश्यक एवं न्यायपूर्ण है। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम कागज संख्या– 98ग स्वीकार किया जाता है। अवेटमेण्ट मंसूख किया जाता है। तदनुसार प्रार्थना–पत्र 96क–2 स्वीकार किया जाता है। संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पत्रावली दिनांक 13.12.2022 को पेश हो।

सिविल जज, जू0डि0, बॉसगॉव
गोरखपुर